BCCI BULLETIN

Vol. 54 | OCTOBER 2023 | No. 10

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

Estd. 1926

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने श्री बालाजी नेत्रालय के सहयोग से 25 गरीबों के मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन कराया

मोतियाबिन्द शिविर का फीता काट कर शुभारम्भ करते श्री गंगा प्रसाद, पूर्व राज्यपाल, सिक्किम एवं मेघालय। साथ में श्री बालाजी नेत्रालय के निदेशक डॉ. शशि मोहनका, चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री पवन कुमार भगत, श्री अजय गुप्ता, श्री राकेश कुमार तथा श्री सावल राम ड्रोलिया एवं अन्य।

पूर्व राज्यपाल, सिक्किम एवं मेघालय श्री गंगा प्रसाद जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में डॉ. शशि मोहनका, चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं कार्यकारिणी सदस्यगण।

पूर्व राज्यपाल, सिक्किम एवं मेघालय श्री गंगा प्रसाद जी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में डॉ. शशि मोहनका, चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं कार्यकारिणी सदस्यगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा श्री बालाजी नेत्रालय के सहयोग से दिनांक 29 अक्टूबर 2023 को आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों का नि:शुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु श्री बालाजी नेत्रालय में शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 25 लोगों के मोतियाबिंद का फेको विधि से ऑपरेशन किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मेघालय एवं सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ बिहार चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं श्री बालाजी नेत्रालय के निदेशक डॉ. शशि मोहनका की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी एवं डॉ. शशि मोहनका का पुष्पगुच्छ एवं शॉल ओढ़ाकर पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने स्वागत किया तथा चैम्बर द्वारा प्रकाशित हैण्ड बुक भेंट किया।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

आपने चैम्बर के अध्यक्ष पद का गुरूतर भार सौंप कर मुझमें जो विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपका विश्वास कायम रहे। परन्तु यह तभी संभव हो पायेगा जब चैम्बर के क्रियाकलापों में आपका सक्रिय सहयोग, मार्गदर्शन एवं समर्थन मुझे सदैव मिलता रहेगा।

इस बुलेटीन के माध्यम से मैं सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूगा कि वे अपनी व्यावसायिक समस्याओं एवं सुझावों से चैम्बर को अवगत कराते रहें ताकि चैम्बर के भावी कार्यक्रमों/बैठकों में उन समस्याओं/सुझावों का समावेश किया जा सके।

मेरा सभी चैम्बर/व्यावसायिक संगठनों से अनुरोध है कि वे अपने चैम्बर/संगठनों की मुख्य गतिविधियों/कार्यक्रमों की जानकारी लिखित रूप में चैम्बर को भेंजे ताकि चैम्बर बुलेटिन में उसको प्रकाशित किया जा सके और प्रदेश के प्रत्येक व्यावसायिक संगठन एक दूसरे की गतिविधियों से अवगत हो सकें।

इस माह चैम्बर की जो भी गतिविधियॉं रही है उसकी जानकारी तो इस बुलेटिन में प्रकाशित की गयी है, फिर भी कुछ मुख्य गतिविधियॉं निम्नानुसार हैं :–

- विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर गुरूवार दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को चैम्बर द्वारा प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉ0 शशि मोहनका, डायरेक्टर श्री बालाजी नेत्रालय के सहयोग से चैम्बर प्रांगण में निःशुल्क नेत्र जॉच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 102 से अधिक लोगों के ऑखों की जॉच की गयी। शिविर में सभी का ब्लड सूगर एवं ब्लड प्रेशर की जॉच की गयी।
- 29 अक्टूबर, 2023 को विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर चयनित आर्थिक रूप से कमजोर 25 नेत्र रोगियों के मोतियाबिन्द का निःशुल्क ऑपरेशन श्री बालाजी नेत्रालय में डॉ0 शशि मोहनका द्वारा किया गया। **इस अवसर पर श्री गंगा प्रसाद, पूर्व राज्यपाल, सिक्किम एवं मेघालय मुख्य अतिथि थे। पूर्व राज्यपाल ने इस समाजिक सेवा के लिए चैम्बर की प्रशंसा की।**
- बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (BCCI) द्वारा इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) पटना चैप्टर के सहयोग से दिनांक 14 अक्टूबर, 2023 को चैम्बर सभागार में **''कम्पनी अधिनियम 2023 के तहत संबंधित पक्षों का लेन–देन एवं जीएसटी कानून के तहत अद्यतन संशोधन''** पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में कोयला एवं फर्नेस आयल से चलने वाले तीन कारखानों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त पर्षद ने 8 अन्य कारखानों को भी PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) का उपयोग करने का नोटिस भेजा है ताकि प्रदूषण नहीं हो। **इसके लिए बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का उन इकाईयों को थोड़ा समय और देना चाहिए ताकि प्लांट में आवश्यक बदलाव में कारखानों को सुविधा हो। तीन कारखानों को बंद करने के आदेश का प्रभाव राज्य के औद्योगीकरण पर भी पड़ने की संभावना है।**

चैम्बर द्वारा लगातार प्रयास से गुलाबी शहर जयपुर से पटना के लिए इंडिगो की सीधी फ्लाइट 29 अक्टूबर, 2023 से शुरू हो रही है। यह फ्लाइट जयपुर–पटना–गुवाहाटी सेक्टर के बीच ऑपरेट होगी। **आमलोगों विशेषकर व्यावसायियों के लिए यह फ्लाइट काफी सुविधाजनक होगी। इस फ्लाइट के परिचालन से चैम्बर के लंबित मांग की पूर्ति हुई है।**

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सभी बैंकों से बचत खाते की ब्याज दर बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। परन्तु बैंक इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। एक सूचना के अनुसार बैंक अपने लाभ मार्जिन को बढ़ाने के लिए बचत खातों पर ब्याज बढ़ाने के इच्छुक नहीं है। **फलस्वरूप बैंक ग्राहक मिलने वाले लाभ से वंचित हैं।**

चालू वित्त वर्ष में 9 अक्टूबर, 2023 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 21.82 प्रतिशत बढ़कर 9.57 लाख करोड़ रूपये पर पहुँच गया है। वित्त मंत्रालय ने 10 अक्टूबर, 2023 को यह जानकारी दी। मुख्य रूप से कम्पनियों एवं व्यक्तिगत कर दाताओं की ओर से बेहतर योगदान से शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ा है। मंत्रालय के अनुसार सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.07 लाख करोड़ रूपये रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 17.95 प्रतिशत अधिक है। सकल आयकर संग्रह में कॉरपोरेट आयकर और व्यक्तिगत आयकर की वृद्धि दर क्रमशः 7.30 प्रतिशत एवं 29.53 प्रतिशत रही। रिफण्ड के समायोजन के बाद कॉरपोरेट आयकर संग्रह में शुद्ध वृद्धि 12.39 प्रतिशत और व्यक्तिगत आयकर संग्रह में यह वृद्धि 32.51 प्रतिशत और 31.85 प्रतिशत (एसटीटी सहित पीआईटी है)

आप सभी को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।

सादर,

आपका

सुभाष कुमार पटवारी

BIADA **बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार**
प्रथत तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004

कार्यालय आदेश

बियाडा के अधिसूचना संख्या – **5128** / स्था दिनांक 10.08.2023 द्वारा बंद एवं अकार्यरत इकाईयों के लिए एक्जिट पॉलिसी–2023 अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.10.2023 तक निर्धारित है।

औद्योगिक इकाईयों की सुविधा को देखते हुए एक्जिट पॉलिसी–2023 के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक **31.12.2023** तक विस्तारित की जाती है।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का आदेश दिनांक 31.10.2023
ह०/–
कार्यकारी निदेशक–ऑपरेशन्स
बियाडा, पटना

ज्ञापांक : 6920/ESTT
दिनांक 31.10.2023

कार्यालय आदेश

बियाडा के अधिसूचना संख्या – **5129** / स्था दिनांक 10.08.2023 द्वारा अकार्यरत एवं रद्द इकाईयों के भूमि हस्तानांतरण हेतु **One Time Transfer Opportunity Policy-2023** अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.10.2023 तक निर्धारित है।

औद्योगिक इकाईयों की सुविधा को देखते हुए **One Time Transfer Opportunity Policy-2023** के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक **31.12.2023** तक विस्तारित की जाती है।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का आदेश दिनांक 31.10.2023
ह०/–
कार्यकारी निदेशक–ऑपरेशन्स
बियाडा, पटना

ज्ञापांक : 6921/ESTT
दिनांक 31.10.2023

श्री गंगा प्रसाद जी, पूर्व राज्यपाल को चैम्बर का "हैण्ड बुक" भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में डॉ. शशि मोहनका, चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं कार्यकारिणी सदस्यगण।

नेत्र चिकित्सक डॉ शशि मोहनका, निदेशक, श्री बालाजी नेत्रालय को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर। साथ में पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी, चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं कार्यकारिणी सदस्यगण।

डॉ. शशि मोहनका को चैम्बर का 'हैण्ड बुक' भेंट कर सम्मानित करते श्री गंगा प्रसाद, पूर्व राज्यपाल, सिक्किम एवं मेघालय। साथ में चैम्बर के पदाधिकारीगण, पूर्व पदाधिकारीगण एवं कार्यकारिणी के सदस्यगण।

मोतियाबिन्द ऑपरेशन कराये मरीजों के साथ पूर्व राज्यपाल, सिक्किम एवं मेघालय श्री गंगा प्रसाद, डॉ. शशि मोहनका, चैम्बर के पदाधिकारीगण, पूर्व पदाधिकारीगण तथा कार्यकारिणी के सदस्यगण।

मोतियाबिन्द ऑपरेशन कराये मरीजों से बात करते पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी। साथ में डॉ. शशि मोहनका एवं चैम्बर के पदाधिकारीगण, पूर्व पदाधिकारीगण तथा कार्यकारिणी के सदस्यगण।

मोतियाबिन्द ऑपरेशन के पश्चात मरीजों के साथ उपस्थित चैम्बर के पदाधिकारीगण, पूर्व पदाधिकारीगण तथा कार्यकारिणी के सदस्यगण।

उक्त अवसर पर पूर्व राज्यपाल ने कहा कि मानव शरीर के लिए नेत्र बहुत ही अमूल्य है, इसलिए नेत्रदान को महादान कहा गया है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के नि:शुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा कर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ ही डॉ. शशि मोहनका भी बधाई के पात्र हैं।

इस अवसर पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शशि मोहनका ने कहा कि मोतियाबिंद के इन सभी मरीजों का चयन बिहार चैम्बर की ओर से दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को विश्व दृष्टि दिवस पर आयोजित वृहत आँख जाँच शिविर में किया गया था। इनमें से पांच से अधिक मरीजों को मोतियाबिंद के चलते एक आँख से दिखाई नहीं दे रहा था। डॉ. मोहनका ने कहा कि उनका प्रयास है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति आँखों में दिक्कत की वजह से कार्य करने में असमर्थ नहीं रहे। हम और हमारी संस्था उनके साथ है।

उक्त अवसर पर चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन ने कहा कि सभी मरीजों को दवा, खाना, चश्मा आदि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से दिया गया है।

इस शिविर में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पांडेय, कार्यकरिणी सदस्य श्री पवन कुमार भगत, श्री राकेश कुमार, श्री अजय गुप्ता एवं वरीय सदस्य श्री सांवल राम ड्रोलिया उपस्थित थे।

विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर चैम्बर द्वारा नि:शुल्क नेत्र जाँच शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

डॉ. शशि मोहनका, नेत्र रोग विशेषज्ञ का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में उपस्थित चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री राकेश कुमार एवं वरीय सदस्य श्री रामलाल खेतान तथा श्री सावल राम ड्रोलिया उपस्थित थे।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा गुरुवार दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर चैम्बर प्रांगण में एक नि:शुल्क नेत्र जाँच शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के आँखों की जाँच की गई एवं आँखों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस संबंध में जानकारी दी गयी।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने बताया कि हर वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरूवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। इसके आयोजन का उद्देश्य बचाव योग्य अंधेपन और दृष्टि नुकसान के वैश्विक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जागरूकरता का प्रसार करना है। श्री पटवारी ने आगे बताया कि विश्व दृष्टि दिवस अंधेपन की रोकथाम के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। समय पर इलाज एवं सही उपचार से 80 प्रतिशत अंधेपन को रोका जा सकता है। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर लोगों से स्वस्थ्य नेत्र के लिए निम्नांकित सुझाव पर ध्यान देने की भी अपील की –

– **आहार में अधिकाधिक मात्रा में हरी सब्जियों एवं पीले तथा लाल फलों का उपयोग करें, धुम्रपान न करें, कड़े धूप में आँखों को सूरज की किरणों से बचाने के लिए धूप का चश्मा पहनें, खतरनाक कार्यों के दौरान सुरक्षात्मक चश्में का उपयोग करें, नियमित व्यायाम करें क्योंकि नियमित व्यायाम न केवल शरीर को स्वस्थ्य रखता है बल्कि आँखों को भी स्वस्थ्य रखता है एवं आँखों की नियममित जाँच कराएं।**

शिविर में प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉ. शशि मोहनका, निदेशक, श्री बालाजी नेत्रालय एवं उनकी टीम द्वारा आँखों की जाँच की गई एवं आँखों को स्वस्थ्य रखने के बारे में विस्तृत जानकारी एवं सलाह दी गयी।

शिविर में 102 से अधिक लोगों के आँखों की जाँच की गई जिसमें लगभग 12 लोगों के आँखों की जाँचोपरान्त मोतियाबिंद के ऑपरेशन की आवश्यकता पाई गई जिनका ऑपरेशन श्री बालाजी नेत्रालय, पटना में किया जायेगा एवं ऑपरेशन से संबंधित सभी आवश्यक चीजें जैसे – दवा, चश्मा इत्यादि की नि:शुल्क व्यवस्था चैम्बर की ओर से किया जाएगा।

शिविर में सभी लोगों का ब्लड सुगर एवं ब्लड प्रेशर की जाँच भी की गयी।

इस अवसर पर चैम्बर के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी के अतिरिक्त

मरीज की आँखों की जाँच करते नेत्र विशेषज्ञ डॉ. शशि मोहनका

शिविर में ब्लड सूगर एवं बी.पी. की जाँच कराते लोग

शिविर में आँखों के पावर की जाँच करते श्री बालाजी नेत्रालय के टेक्नीसियन।

आँखों की जाँच हेतु अपनी बारी का इंतजार करते मरीज।

उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन मौजूद थे।

पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, कार्यकारिणी सदस्य श्री राकेश कुमार, श्री सावल राम ड्रोलिया एवं श्री अशोक कुमार ने शिविर के सफल संचालन में सक्रिय भूमिका निभाई।

जीएसटी संग्रह सातवें माह रु 1.5 लाख करोड़ के पार

चालू वित्त वर्ष में मासिक औसत संग्रह 1.65 लाख करोड़ हुआ

देश में जीएसटी संग्रह सितम्बर में सालाना आधार पर 10% बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। यह इस साल लगातार सातवाँ महीना है, जब कर संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।

वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि सितम्बर 2023 में जीएसटी संग्रह पिछले साल के इसी महीने के 1.47 लाख करोड़ रुपये से 10 प्रतिशत अधिक रहा। अगस्त 2023 में यह आंकड़ा 1.59 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में सकल जीएसटी संग्रह 9,92,508 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 11 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-सितम्बर 2023 के दौरान औसत मासिक सकल संग्रह 1.65 लाख करोड़ था। यह आंकड़ा सालाना आधार पर 11 प्रतिशत अधिक है।

अप्रैल में रिकॉर्ड : अप्रैल 2023 में जीएसटी राजस्व 1.87 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया था। पहले औसत मासिक राजस्व 85,000 से 95,000 करोड़ रुपये था।

केन्द्र और राज्यों की हिस्सेदारी : सितम्बर में सकल जीएसटी राजस्व 1,62,712 करोड़ रुपये रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी 29,818 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 37,657 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 83,623 रुपये (माल के आयात पर जमा 41,145 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 11,613 करोड़ रुपये था।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 2.10.2023)

राज्य स्तर पर गठित हो जीएसटी न्यायाधिकरण : विजय चौधरी

राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जीएसटी मामलों की सुनवाई के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर न्यायाधिकरण के गठन की मांग की है। वे दिनांक 7.10.2023 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की।

वित्त मंत्री ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य स्तर पर न्यायाधिकरण रहे तो कारोबारियों को अपील करने में सुविधा होगी। इसके अभाव में करों से जुड़े विवाद का समय पर निपटारा नहीं होता है। इससे व्यापारियों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि समय पर अपील दायर न करने वाले करदाताओं को भी विशेष प्रविधान के तहत एक मौका उपलब्ध कराया जाए। इससे उन्हें सुविधा होगी। जीएसटी अधिनियम तथा नियमावली के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण अविलम्ब निर्गत करने की भी मांग की।

उन्होंने कहा कि इसके कारण करदाताओं में अनेक भ्रान्तियाँ हैं, जिससे कठिनाई होती है। काउंसिल में इन सभी मुद्दों पर विमर्श हुआ एवं सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लिये जाने की संभावना है। (साभार : दैनिक जागरण, 8.10.2023)

आयकर नोटिस की उलझन फोन पर ही सुलझा सकेंगे

35 लाख रिफंड के मामले अटके, जिनमें बैंक का ब्योरा और अन्य जानकारियाँ गलत

आयकर विभाग ने कर मांग नोटिस समेत अन्य मामलों में लोगों को जानकारी देने और उनकी मुश्किलें दूर करने के लिए कॉल सेंटर शुरू किया है। इसके जरिए वह खुद आयकरदाताओं को फोन कर जानकारियाँ उपलब्ध करा रहा है। अभी कुछ शहरों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। कामयाबी मिलने पर इस योजना को देशव्यापी स्तर पर लागू किया जाएगा।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) चेयरमैन नितिन गुप्ता ने 'हिन्दुस्तान' को बताया कि कॉल करने के पहले करदाता को इसके बारे में ई-मेल किया जाता है, जिसमें कॉल आने के बारे में बताया जाता है। उसके बाद उनके खिलाफ टैक्स के बारे में उन्हें सूचित किया जाता है और पूरी प्रक्रिया के बारे में उन्हें बताया जाता है। करदाता अगर चाहता है तो उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। इसका मकसद नोटिस को लेकर करदाताओं की समझ को आसान बनाना है।

इन शहरों में चल रहे कॉल सेंटर : इसका पायलट प्रोजेक्ट कर्नाटक, गोवा, दिल्ली और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शुरू हुआ है। कॉल सेंटर के जरिए पिछले साल 1.4 लाख मामलों का समाधान किया गया।

अब तक रिफंड नहीं आया तो यह काम करें : नितिन गुप्ता ने बताया है कि जिन कुछ करदाताओं को आयकर रिफंड में मुश्किल आ रही होगी, उन्हें अपने बैंक की जानकारियाँ आयकर विभाग के पास सही-सही अपडेट कराने की जरूरत हैं। उनके मुताबिक ऐसे करीब 35 लाख मामले हैं, जिनमें बैंक की पुष्टि नहीं हो पा रही है। विभाग की तरफ से इन करदाताओं से संपर्क किया जा रहा है। ऐसे मामलों में कहीं खाता नंबर गलत है तो कहीं आईएफएससी कोड गलत पाया जा रहा है। साथ ही कई बैंकों के मर्जर के बाद लोगों ने अपनी नई जानकानियाँ दर्ज नहीं की है। ऐसा करने की वजह से लोगों को रिफंड मिलने में मुश्किल हो रही है।

गेमिंग व क्रिप्टो से 700 कराड़े का टीडीएस : सरकार ने ऑनलाइन गेमिग और क्रिप्टो कारोबार के लिए टीडीएस व्यवस्था लाए जाने के बाद चालू वित्त वर्ष में अब तक इनसे 700 करोड़ रुपये से अधिक का कर जुटाया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.10.2023)

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (BCCI) द्वारा इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) पटना चैप्टर के सहयोग से ''कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत संबंधित पक्षों का लेन-देन एवं जीएसटी कानून के तहत अद्यतन संशोधन'' पर चैम्बर में संगोष्ठी आयोजित

संगोष्ठी में मंचाचीन चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, ईआईआरसी ऑफ आईसीएसआई के चेयरमैन सीएस सौम्य सुजीत मिश्रा, ईआईआरसी ऑफ आईसीएसआई के सदस्य सीएस संतोष कुमार एवं इआईआरसी ऑफ आईसीएसआई पटना चैप्टर की चेयरपर्सन सीएस पूजा आनन्द। दाँयी ओर क्रमशः ईआईआरसी ऑफ आईसीएसआई सेक्रेटरी सी. एस. अनुज सारस्वत एवं ईआईआरसी ऑफ आईसीएसआई पटना चैप्टर सीएस प्रवीण चन्द्र पाण्डेय।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (BCCI) द्वारा इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) पटना चैप्टर के सहयोग से दिनांक 14 अक्टूबर, 2023 को चैम्बर सभागार में **'कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत संबंधित पक्षों का लेन-देन एवं जीएसटी कानून के तहत अद्यतन संशोधन'** पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस संगोष्ठी में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी सम्मानित अतिथि एवं चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल मुख्य अतिथि थे।

संगोष्ठी का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं ईआईआरसी ऑफ आईसीएसआई के पदाधिकारीगण तथा सदस्यगण।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी को पौधा भेंटकर स्वागत करते ईआईआरसी ऑफ आईसीएसआई पटना चैप्टर के सदस्य।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को पौधा भेंट कर स्वागत करते ईआईआरसी ऑफ आईसीएसआई पटना चैप्टर के सदस्य।

संगोष्ठी को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष सुभाष कुमार पटवारी

संगोष्ठी को संबोधित करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करते आईसीएसआई के पूर्व पदाधिकारी। साथ में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल

संगोष्ठी में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करते आईसीएसआई के पूर्व पदाधिकारी। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं ईआईआरसी ऑफ आईसीएसआई के चेयरमैन सी. एस. सौम्य सुजीत मिश्रा एवं आईसीएसआई के सदस्य सी. एस. संतोष कुमार।

संगोष्ठी में ईआईआरसी ऑफ आईसीएसआई के चेयरमैन सीएस सौम्य सुजीत मिश्रा, ईआईआरसी ऑफ आईसीएसआई के सदस्य सीएस संतोष कुमार, ईआईआरसी ऑफ आईसीएसआई, पटना चैप्टर की चेयरपर्सन सीएस पूजा आनन्द, ईआईआरसी ऑफ आईसीएसआई के सेक्रेटरी सीएस अनुज सारस्वत एवं ईआईआरसी और आईसीएसआई पटना चैप्टर के सेक्रेटरी सीएस प्रवीण चन्द्र पाण्डेय मंचासीन थे।

मंचासीन महानुभावों द्वारा दीप प्रज्वलन कर संगोष्ठी का शुभारम्भ किया गया। संगोष्ठी में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल का पौधा भेंटकर स्वागत एवं शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने संगोष्ठी को सम्बोधित भी किया।

देश के कॉरपोरेट लीगल एण्ड सेक्रेटेरियल सर्विसेज की अग्रणी संस्था मेहता एण्ड मेहता के सीएस सुधाकर सारस्वतुला ने 'कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत संबंधित पक्षों का लेन-देन एवं जीएसटी कानून के तहत अद्यतन संशोधन'' पर विस्तृत रूप से जानकारी दी।

टैक्स कलेक्टर के साथ फैसिलिटेटर भी बनें

वाणिज्य-कर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कर संग्रहण में विभाग की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। वाणिज्य-कर विभाग के अधिकारियों खास तौर पर क्षेत्रीय पदाधिकारियों के प्रयासों से कर संग्रहण में सफलता मिली है। उन्होंने स्थानीय कर भवन में आयोजित विभागीय अधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जब से जीएसटी लागू हुआ है तथा कर संग्रहण की व्यवस्था ऑनलाइन हुई है, उससे कर प्रशासन व्यवस्थित एवं सुविधाजनक हुआ है।

उन्होंने अधिारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कर संग्रहण में शिथिलता नहीं बरतें बल्कि लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करें। कर संग्रहण का निर्धारित लक्ष्य टैक्स वसूली का कोई अधिकतम आंकड़ा नहीं है। अपने निर्धारित क्षेत्र की टैक्स संभाव्यता के मद्देनजर लक्ष्य से अधिक वसूली की जानी चाहिए। सर्विस सेक्टर सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ कर संग्रहण की क्षमता अधिक है, जिन पर मुस्तैदी से काम करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि हमारे व्यवसाय स्थलों पर हो रही व्यापारिक गतिविधियों की वास्तविक कर क्षमता का आकलन करने की आवययकता है ताकि टैक्स बेस में वृद्धि हो सके। वाणिज्य-कर मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि मूलत: दो प्रकार से करवंचना होती है- (1) वास्तविक करदेयता से कम टैक्स का भुगतान करना और (2) करदेयता शून्य दिखाते हुए टैक्स की चोरी करना। दोनों प्रकार की करवंचना को रोकना विभाग का दायित्व है। **उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी टैक्स कलेक्टर के साथ-साथ टैक्स फैसिलिटेटर भी बनें। करदाताओं को उचित सम्मान दें और जान-बूझकर करवंचना करने वाले लोगों से सख्ती से पेश आएं। जो अच्छे करदाता हैं, उन्हें उनके डोर स्टेप पर सुविधाएँ उपलब्ध करायें। इससे कर प्रशासन के सुव्यवस्थित संचालन में मदद मिलती है।**

बैठक के दौरान विभागीय सचिव एवं राज्य-कर आयुक्त डॉ. प्रतिमा द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह से लेकर सितम्बर 2023 तक अंचलवार संग्रहण के संबंध में विस्तार से प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को लक्ष्य दिए गए हैं एवं उसके अनुरूप कार्य किये जा रहे हैं। इसे और तेज करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर संग्रहण का लक्ष्य 39550 करोड़ रुपए निर्धारित है, जिसमें अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक जीएसटी मद में 12687.84 करोड़ तथा गैर-जीएसटी मद में 4243.92 करोड़ रुपए सहित कुल 16931.76 करोड़ रुपए संग्रहित किए गए हैं। इस अवधि के दौरान 95.37 प्रतिशत कर संग्रहण किया गया है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 18.10.2023)

सत्यापन के बावजूद अटक सकता है आयकर रिफंड

कई करदाताओं ने समय पर आय रिटर्न दाखिल कर दिया है। इसके बावजूद उनके खाते में रिफंड नहीं आया है। इस पर विभाग का कहना है कि ऐसा फॉर्म 26 एएस और वार्षिकी सूचना रिपोर्ट (एआईएस) में मिलान न होने से संभव हो सकता है।

इसके चलते रिटर्न को सत्यापित करने के बाद भी रिफंड अटक सकता है। विभाग का कहना है कि रिटर्न को करदाता द्वारा सत्यापित करने के बाद कर अधिकारी उसे प्रोसेस करता है। इस प्रक्रिया में फॉर्म 26एएस और एआईएस में दर्ज करदाता द्वारा आकलन वर्ष में किए गए कुल लेनदेन, आमदनी, कर

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन 'कंसलटेशन मीट' में चैम्बर शामिल हुआ

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित "कंसल्टेशन मीट" में चैम्बर की ओर से आनलाइन शामिल अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं पूर्व महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा।

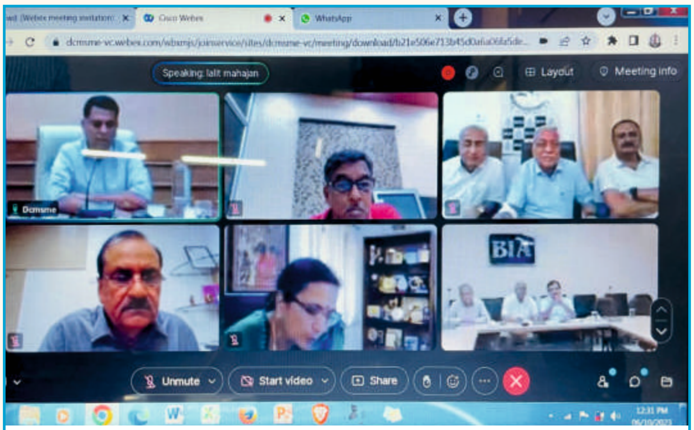

एमएसएमई मंत्रालय की ओर से आयोजित "कंसल्टेशन मीट" में ऑलाइन शामिल चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा।

एमएसएमई मंत्रालय की ओर से ऑनलाईन कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 'कंसलटेशन मीट' का आयोजन दिनांक 6 अक्टूबर, 2023 को किया गया। इस 'कंसलटेशन मीट' में भारत सरकार के एमएसएमई एक्ट 2006 में परिवर्तन के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हुआ।

इस 'कंसलटेशन मीट' में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं पूर्व महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा ऑनलाईन शामिल हुए।

अदायगी, छूट और रिफंड के दावों की जाँच की जाती है। यदि करदाता ने आईटीआर में कुछ और राशि घोषित की है और एआईएस दस्तावेज और ज्यादा या कम राशि का दावा करते हैं तो रिफंड अटक सकता है। आईटीआर प्रोसेस होने पर ही रिफंड जारी किया जाता है। इस तरह के अटके मामलों में संशोधित रिटर्न दाखिल करनी होगी। यदि करदाता ने कम कर का भुगतान किया है और आईटी आर भर दिया है तो आयकर विभाग उसे नोटिस भेजकर पूरा भुगतान करने को कहेगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 17.10.2023)**

टीडीएस में हुई गड़बड़ी को सही कराना संभव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकरदाताओं की बड़ी समस्या का समाधान निकाला

अवसर देखा जाता है कि आयकरदाताओं को गलत वित्त वर्ष में टीडीएस काटे जाने की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस गड़बड़ी के कारण लोग अपने आईटीआर में इसका रिफंड नहीं ले पाते हैं। लेकिन अब आयकर विभाग ने लोगों की समस्या का समाधान ढूंढ़ निकाला है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक नया आयकर फॉर्म जारी किया है, जिसे फॉर्म-71 कहा जाता है। फॉर्म-71 आयकरदाताओं को टीडीएस दावे की उनकी समस्या को हल करने में मदद करेगा।

अब सीधे हो सकेगा समाधान : अगर आयकरदाता के बैंक, नियोक्ता या किसी अन्य वित्तीय संस्थान ने गलत वित्तीय वर्ष में टैक्स काटा है तो, इस समस्या के समाधान के लिए आपको कर कटौतीकर्ता से संपर्क करने की जरूरत नहीं होगी।

अब आयकरदाता सीधे आयकर विभाग के जरिए इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने फॉर्म-71 को अधिसूचित किया है, जिसका उपयोग आयकरदाता अपने द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए गलत ढंग से स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) क्रेडिट को सही करने के लिए कर सकते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस नए फॉर्म की अधिसूचना 30 अगस्त 2023 को जारी की है।

क्या है फॉर्म- 71 : सीबीडी द्वारा जारी किया गया फॉर्म- 71 किसी व्यक्ति को टीडीएस क्रेडिट बेमेल की समस्या को हल करने की अनुमति देगा। यह किसी व्यक्तित को टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देगा यदि आय (जिसका टीडीएस काटा गया है) को आयकरदाता की तरफ से पहले ही वित्तीय वर्ष में आईटीआर में घोषित किया जा चुका है।

इस संशोधन की समय-सीमा निर्धारित : गलत टीडीएस क्रेडिट को फॉर्म-71 भरकर ठीक कराने के लिए एक समय सीमा तय की गई है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, कोई व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष के अंत से दो साल के भीतर आयकर विभाग में फॉर्म-71 दाखिल कर सकता है, जिसमें टीडीएस काटा गया था। यह फॉर्म किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष के लिए भरा जा सकता है, जिसमें आय वास्तव में टीडीएस के अधीन थी। मान लीजिए कि बैंक को वित्त वर्ष 2018-19 में एफडी के ब्याज पर टीडीएस काटना था, लेकिन बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में टीडीएस काटा। ऐसे में वह व्यक्ति टीडीएस क्रेडिट का दावा करने के लिए 31 मार्च, 2024 तक (वित्त वर्ष 2023-24 तक) आयकर विभाग में फॉर्म- 71जमा कर सकता है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 14.10.2023)**

डाक से ई-कामर्स निर्यात को प्रोत्साहन

- **छोटे निर्यातकों को क्लीयरेंस के लिए नहीं जाना पड़ता कस्टम विभाग**
- **डाक निर्यात केन्द्र में आनलाइन ही मिल जाती है कस्टम क्लीयरेंस**

देश के विभिन्न शहरों में डाक निर्यात केन्द्र खुलने से अब छोटे निर्यातकों को निर्यात करने में काफी आसानी हो रही है। इसकी सबसे मुख्य वजह यह है कि छोटे निर्यातकों को विदेश में माल भेजने के लिए अब कस्टम क्लीयरेंस के लिए कस्टम विभाग का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है। डाक निर्यात केन्द्र में आनलाइन ही उन्हें कस्टम क्लीयरेंस की सुविधा मिल जाती है। इस साल अप्रैल से लेकर अब तक देशभर में 700 डाक निर्यात केन्द्र खोले जा जुके हैं।

डाक विभाग ने इस साल के अंत तक 1000 डाक निर्यात केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा है।

महिला सम्मान बचन स्कीम में 18 लाख से अधिक खाते : चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाई गई महिला सम्मान बचन योजना के तहत देशभर में अब तक 18,08710 खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें 11,546 करोड़ रुपये जमा हैं। इस साल बजट में महिला सम्मान बचत स्कीम लाने की घोषणा की गई थी। **(साभार : दैनिक जागरण, 10.10.23)**

चैम्बर उपाध्यक्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठकों में सम्मिलित हुए

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 11, 25 एवं 31 अक्टूबर, 2023 को श्री पंकज दीक्षित, भा.प्र.से. उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में विभागीय समाकक्ष में आयोजित हुई।

उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए।

बियाडा के परियोजना समाशोधन समिति की बैठक में उपस्थित चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर।

चैम्बर अध्यक्ष खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग की PAMC बैठक में शामिल हुए

दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 को अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौंडरिक, भा.प्र.से., उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के प्रोजेक्ट एप्रुभल एण्ड मॉनीटरिंग कमिटी (PAMC) की बैठक हुई जिसमें चैम्बर की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी शामिल हुए।

बैठक में 14 मामले Capital Subsidy के आये थे, उन मामलों पर विचार-विमर्श हुआ।

एक वर्ष में अवमुक्त होगा अटैच बैंक खाता

कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। जीएसटी द्वारा कुर्की में अटैच किए गए बैंक खाते वसूली के बाद एक वर्ष बाद स्वत: अवमुक्त (डी-फ्रीज) हो जाएंगे। दिल्ली में आयोजित जीएसटी कांउसिल की 52वीं बैठक में कुर्की के नियम को सरल बनाया गया है। अभी तक कुर्की के आदेश की समय सीमा निर्धारित नहीं थी। कारोबारियों को अपना बैंक खाता व संपत्ति अवमुकत कराने को विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे।

नए नियम के अनुसार, अब कुर्की के आदेश की अवधि अधिकतम एक वर्ष रहेगी। जीएसटी नियमावली के नियम-159 में संशोधन के बाद अब डिमांड एंड रिकवरी फार्म (डीआरसी) -22 में ही बैंक खाता को एक वर्ष के अंदर अवमुक्त करने की बात लिख दी जाएगी। जीएसटी विशेषज्ञ सीए सौरभ अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी में कुर्की के नियम को शिथिल किया गया है। अलग से मुक्ति आदेश पारित कराने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

(साभार : दैनिक जागरण, 10.10.2023)

एक ही होकन संख्या से ऑनलाइन लेनदेन कर सकेंगे

ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ऑनलाइन खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए आरबीआई ने टोकन व्यवस्था के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब बैंक सीधे क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए विशेष टोकन नंबर जारी करेंगे। इसकी मदद से सभी वेबसाइट पर खरीदारी की जा सकेगी। अलग-अलग टोकन बनाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। मौजूदा व्यवस्था में ग्राहकों को ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर टोकन बनाना होता है। इसे व्यापारी के मोबाइल ऐप या वेबपेज द्वारा जारी किया जाता है। प्रत्येक वेबसाइट पर खरीदारी के दौरान एक ही क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए अलग-अलग टोकन नंबर जारी होता है।

नए नियमों के मुताबिक इसे अब बैंक स्तर पर ही जारी किया जा सकेगा। इस नई सुविधा के जरिए कार्डधारक अपने खातों को सीधे विभिन्न ई-कॉमर्स मंचों से जोड़ सकेंगे। इससे ग्राहक सिर्फ एक टोकन से सभी वेबसाइट पर आसानी से खरीदारी कर सकेंगे। आरबीआई ने हाल ही में हुई मौट्रिक नीति समीक्षा समिति की बैठक में नियमों में बदलाव किया है।

2022 से हुई थी शुरुआत : आरबीआई ने ऑनलाइन धोखाघड़ी रोकने के लिए सितम्बर 2021 में कार्ड टोकनाइजेशन व्यवस्था की शुरुआत की थी और 1 अक्टूबर 2022 से इसे पूरे देश में लागू किया था। इस व्यवस्था के तहत अब तक 56 करोड़ से ज्यादा टोकन जारी किए हैं, जिनकी कुल कीमत 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है।

ऐसे पूरी होगी प्रक्रिया : किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर डिजिटल भुगतान के दौरान जब आप टोकन का विकल्प चुनेंगे, तब संबंधित कार्ड की टोकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपकी सहमति लेकर अनुरोध भेजा जाएगा। इसके बाद आपको कार्ड नंबर के बजाय विशेष कोड वाला टोकन दिया जाएगा।

कितना सुरक्षित : टोकन जारी करने वाला ग्राहक के पैन नंबर, कार्ड नंबर या कोई किसी जानकारी को अपने पास सुरक्षित नहीं रख सकता है। सिर्फ अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर कार्ड की वास्तविक जानकारी और टोकन नंबर को सुरक्षित रखा जाता है। कार्ड नेटवर्क को कई चरणों में सुरक्षा प्रमाणित अनिवार्य है, जो स्वीकृत मानकों के अनुरूप होती है। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.10.2023)

बिना पैक मोटे अनाज के आटे पर टैक्स नहीं

जीएसटी परिषद ने दिनांक 7.10.2023 को लेबल वाले मोटे अनाज के आटे पर पाँच प्रतिशत कर लगाने का फैसला क्रिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी। आटे को पैक करके उस पर लेबल लगा कर बेचने पर जीएसटी लागू होगा। ऐसा आटा, जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत मोटे अनाज हों, उसे खुला बेचने पर शून्य प्रतिशत जीएसटी लागू होगा, लेकिन पैक करके और लेबल लगा कर बेचने पर पाँच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वहीं, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने दोहराया कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर शुरू से ही 28 फीसदी जीएसटी लागू था। गौरतलब है कि दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो पर पिछली तारीख से कर की मांग का मुद्दा उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक की गयी।

जीएसटीएटी अध्यक्ष की अधिकतम आयु 70 वर्ष तय : 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा तय करने का भी निर्णय लिया गया। इसके तहत जीएसटीएटी अध्यक्ष की अधिकतम आयु 70 वर्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु 67 वर्ष होगी। इससे पहले यह सीमा क्रमश: 67 वर्ष और 65 वर्ष थी।

चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक में सम्मिलित हुए

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) की परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 को श्री संदीप पौंडरिक, भा.प्र.से. अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में विभागीय समाकक्ष में आयोजित हुई। इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन सम्मिलित हुए।

शीरा पर अब 5% टैक्स : जीएसटी परिषद ने शीरा (पीने योग्य एल्कोहल) पर जीएसटी 18% से घटा कर 5% करने का फैसला किया है, छतीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री और जीएसटी परिषद के सदस्य टीएस सिंह देव ने कहा कि औद्योगिक प्रयोग के लिए अतिरिक्त तटस्थ एल्कोहल (इएनएल) पर जीएसटी लगता रहेगा। इएनए (पीने वाले एल्कोहल) के मानवीय प्रयोग पर उसे जीएसटी से छूट दी जायेगी। (साभार : प्रभात खबर, 8.10.2023)

सहायक कंपनी कॉरपोरेट गारंटी पर अब 18% टैक्स

जीएसटी काउंसिल ने कंपनियों के डायरेक्टर्स को बड़ी राहत दी। यदि कोई कंपनी डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी पर लोन लेती है तो टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि कंपनी कॉरपोरेट गारंटी पर अपनी किसी सब्सिडियरी को लोन दिलाती है, तो उसकी 1% वैल्यू पर 18% टैक्स लगेगा। सीए कीर्ति जोशी ने बताया, मान लीजिए किसी कॉरपारेट ने अपनी गारंटी पर किसी सहायक (सब्सिडियरी कंपनी को 100 करोड़ रुपए का लोन दिलाया। ऐसे में 1 करोड़ रु की राशि पर 18 प्रतिशत यानी 18 लाख रु टैक्स लगेगा। यदि कंपनी के डायरेक्टर ने पर्सनल गारंटी पर लोन दिलाया है और कमीशन नहीं लिया तो टैक्स नहीं देना होगा। डायरेक्टरों की पर्सनल गारंटी के मामले में पहले स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इससे टैक्स को लेकर सैकड़ों मामलों पर विवाद चल रहा है।

अब 31 जनवरी तक कर सकेंगे अपील : पहले जीएसटी को लेकर असंतुष्ट होने पर 90 से 120 दिन के भीतर अपील करनी होती थी। इसके भीतर अपील न करने पर पूरा टैक्स देना होता था। अब सरकार ने एम्नेस्टी स्कीम शुरू की है। 2017 से अब तक के ऐसे मामलों के लिए 31 जनवरी, 2024 तक अपील की जा सकेगी। (साभार : दैनिक भास्कर, 8.10.2023)

आरबीआइ के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में कल से बदले जाएंगे 2000 रुपये के नोट

• 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट चलन में थे वापसी की घोषणा के समय • 3.43 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य के नोट वापस आ चुके हैं अब तक • 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य के नोट अभी भी प्रचलन में या लोगों के पास हैं

2,000 रुपये के नोटों को बदलने की समय सीमा सात अक्टूबर खत्म हो गई है। यदि आपके पास अभी भी दो हजार रुपये के नोट बचे हुए हैं तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप आरबीआइ के देशभर में स्थित 19 क्षेत्रीय कार्यालयों से इन नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआइ के क्षेत्रीय कार्यालयों में यह सेवा नौ अक्टूबर यानी सोमवार यानी से शुरू होगी। आरबीआइ ने 19 मई 2023 को दो हजार रुपये के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी।

इन बातों का रखें ध्यान : • अब 2,000 रुपये के नोट न तो किसी बैंक शाखा में जमा होंगे और न ही इन्हें बदला जा सकेगा • आरबीआइ के क्षेत्रीय कार्यालयों में एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये मूल्य के नोट बदले जा सकेंगे • लोग क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिये अपने बैंक खातों में भी दो हजार रुपये के नोट जमा कर सकेंगे • आरबीआइ के जरिये दो हजार रुपये के नोटों को बैंक खाते में जमा करने की कोई सीमा नहीं है • दूरदराज के लोग डाक के जरिये भी नोटों को आरबीआइ कार्यालय भेजकर खाते में जमा करा सकेंगे • नोटों को बैंक खाते में जमा कराने के लिए पहचान पत्र और बैंक खाते से संबंधित जानकारी देनी होगी • दो हजार रुपये के नोट अगले आदेश तक कानूनी तौर पर वैध बने रहेंगे।

यहाँ हैं आरबीआइ के क्षेत्रीय कार्यालय : अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली, पटना। (साभार : दैनिक जागरण, 8.10.2023)

बियाडा की जमीन की कीमत 20 से 80% कम की गई

बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए बनाई गई नीति के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हो और राज्य के युवाओं को रोजगार मिले, आर्थिक स्थिति में सुधार हो इसके लिए बियाडा की जमीन की कीमत 20 से 80 प्रतिशत तक कम कर तार्किक बनाया गया है। बिहार में स्टार्टअप व इनोवेशन को बढ़ावा देकर बड़े उद्योग की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। कपड़ा और चमड़ा उद्योग की स्थापना के लिए बनी बेहतर नीति के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। ये बातें उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बेंगलुरू में आयोजित इंवेस्टर्स मीट 2023 में कहीं।

उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार अपने सर्वोत्तम प्रकार के वस्त्र और चमड़े के उत्पादों, कच्चे माल की उपलब्धता और श्रम की प्रचुरता के लिए जाना जाता है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र व चमड़ा नीति) 2022 लागू की गई। दूसरे राज्यों के टेक्सटाइल उद्योग में काम करने वाले बिहारी कामगार

चैम्बर के महामंत्री को सहायक महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दी बधाई

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबन्धक (एग्रीकल्चर बिजनेस यूनिट) स्थानीय प्रधान कार्यालय पटना श्री अजय कुमार सिंह ने दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 को चैम्बर के महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय से चैम्बर कार्यालय में मुलाकात कर चैम्बर के महामंत्री का पदभार ग्रहण करने पर उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी।

यहाँ आसानी से मिल रहे हैं। उद्योग के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त पूंजी निवेश अनुदान, रोजगार सृजन अनुदान, माल ढुलाई प्रतिपूर्ति और बिजली शुल्क अनुदान का प्रावधान है। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 लागू करने वाला बिहार देश में पहला राज्या बना। **(साभार : दैनिक भास्कर, 11.10.2023)**

नन बैंकिंग कंपनियों के अवैध क्रियाकलापों पर लगेगी लगाम

राज्य में फर्जी नन बैंकिंग कंपनियों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने पोर्टल बनाया है। अब कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर गैरवाजिब तरीके से लिये जा रहे पैसों की शिकायत कर सकेगा। वित्त विभाग ने एनबीएफसी कंपनियों के अवैध क्रियाकलापों पर रोकथाम व नियंत्रण के लिए nbfc.bihar.gov.in नाम से पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर जिलों के नामित सक्षम प्राधिकार सह अपर समहर्ता बैंकिंग और एनबीएफसी की सूची, उनकी मोबाइल नंबर और इ-मेल एड्रेस भी उपलब्ध करवाया गया है, ताकि लोग अवैध रूप से जमा ले रही कंपनियों या जमा राशि की अवधि पूरा होने के बाद भी नहीं लौटाने की शिकायत कर सकते हैं। इस पोर्टल में जिलों में काम करने वाले वैध कंपनियों की सूची भी दी गयी है, ताकि लोग देखकर राशि जमा कर सकें। **(विस्तृत: प्रभात खबर, 6.10.23)**

रद्द औद्योगिक यूनिटों को मिलेगी माफी

बियाडा ने बिहार में रद्द औद्योगिक इकाइयों के लिए एकमुश्त माफी नीति, 2023 (वन टाइम एमनेस्टी पॉलिसी) घोषित कर दी है। यह नीति 31 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगी। दरअसल ऐसी निरस्त औद्योगिक इकाइयाँ को जो तीन माह में उत्पादन और छह माह के अंदर कुल क्षमता का 75 प्रतिशत उत्पादन शुरू कर देंगी, उन्हें एक मुश्त माफी नीति के तहत लाभ मिलेगा। उनसे संबंधित रद्दीकरण आदेशों को बियाडा निरस्त कर देगा। हालांकि यूनिट को उत्पादन शुरू करने संबंधी शर्त के पालन के लिए वचन पत्र देना होगा। यह नीति औद्योगिक मामलों को लेकर बढ़ रही मुकदमेबाजी को कम करने के लिए लायी गयी है। नीति के मुताबिक बियाडा की तरफ से रद्द की गई, उन इकाइयों को उद्योग स्थापित करने और अंडरट्रायल/वाणिज्यिक उत्पादन में आने के लिए एकमुश्त माफी की अनुमति दी जाएगी। जिन इकाइयों का आवंटन रद्द कर दिया गया है। ऐसी इकाइयों ने अगर एक अक्टूबर 2023 से पहले अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका दायर कर रखी है। अगर वे अपील या याचिका वापस ले लेते हैं तो वह इस नीति के तहत आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदक इकाई आवंटन की मूल शर्तों के अनुसार स्वीकृत और निर्मित होने की अनुमति वाले उत्पाद में कोई बदलाव/संशोधन नहीं कर सकेगी। **(साभार : प्रभात खबर, 14.10.2023)**

मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मोतीपुर शुगर मिल, गाँव-महबल के 62.17 एकड़ भूमि लदेर पार्क के रूप में तथा 28.66 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र, महबल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

उक्त संबंध में उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या 5/स. बियाडा (औद्योगिक क्षेत्र) 9/2022-5803 दिनांक 4 अक्टूबर 2023 की प्रति माननीय सदस्यों की सूचनार्थ उद्धृत है :-

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन 1945 (श.)
(सं. पटना 803) **पटना, वृहस्पतिवार, 5 अक्टूबर 2023**

उद्योग विभाग
अधिसूचना
4 अक्टूबर 2023

सं. 5/स. बियाडा (औद्योगिक क्षेत्र) – 9/2022–5803–बिहार ओद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 की धारा 2 (च) धारा 4(क) (i) एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रदत शक्तियों द्वारा कार्यकारी निदेशक (संचालन), बियाडा, पटना के पत्रांक 6137/ Estt दिनांक 21.9.2023 द्वारा अनुशंसित मुजफ्फरपुर जिला अतर्गत मोतीपुर सुगर मिल, गाँव-महबल के 62.17 एकड़ भूमि लेदर पार्क के रूप में तथा 28.66 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र, महबल के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
दिलीप कुमार
सरकार के विशेष सचिव।

चार शहरों में बनेगा हस्तकरघा और रेशम का क्लस्टर

हस्तकरघा और रेशम का क्लस्टर पटना समेत राज्य के चार जिलों में बनाया जाएगा। 'स्फूर्ति' योजना के तहत पटना के अलावा गया, रोहतास एवं भागलपुर का चयन किया गया है। तीन जिलों में डाइंग, प्रिंटिंग एवं फिनिशिंग का जबकि रोहतास के अकोढ़ीगोला में वुलन प्रोसेसिंग एवं फिनिशिंग का क्लस्टर बनाया जाएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों को रोजगार मिलेगा। खरीदारों को एक ही स्थान पर बड़ा बाजार मिल सकेगा। इससे कारीगरों को भी अपने उत्पादों की उचित मूल्य पर बिक्री के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ेगा। पटना के पालीगंज स्थित सिगोड़ी गाँव का चयन किया गया है।

जिलों से 10 हजार वर्ग फीट जमीन की मांग : क्लस्टर निर्माण के लिए हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय ने जिलों से 10 हजार वर्ग फीट जमीन की मांग की है। विभाग के निदेशक ने चारों जिलों को पत्र भेजा है। इन चारों जिलों में कामन फैसिलिटी सेंटर भी बनाया जाना है।

"सत्यापन, डीपीआर एवं इंजीनियरिंग जाँच के बाद मशीन, पूँजी एवं बाजार की व्यवस्था की जाएगी। क्लस्टर के लिए पाँच करोड़ तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बुनकरों के लिए मशीन, पूँजी एवं बाजार की व्यवस्था की जाएगी।" – **प्रदीप कुमार,** निदेशक, एमएसएमई, पटना

(साभार : दैनिक जागरण, 18.10.2023)

रेडिमेड कपड़ा उद्योग का हब बनेगा बिहार

- **इस बार चयन में 13 परियोजना क्षेत्र को दी गई है प्राथमिकता**
- **रेडिमेड कपड़ा निर्माण लिए वर्ग बी में 793 और वर्ग ए में 263 उद्यमियों का चयन हुआ है**

बिहार रेडिमेड कपड़ा निर्माण का हब बनेगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र के लिए उद्यमियों का चयन हुआ है। दूसरे नंबर पर मखाना प्रोसेसिंग और तीसरे नंबर पर ड्रोन एस सर्विस है।

इस वर्ष मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कुल 59 परियोजनाओं के लिए तीन वर्ग में आवेदन मांगे गए थे। इसमें ज्यादातर आवेदन तेरह परियोजनाओं

राज्य बाल श्रमिक आयोग की कार्यकारिणी समिति एवं आयोग की तीसरी बैठक में चैम्बर प्रतिनिधि शामिल हुए

बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग की कार्यकारिणी समिति की बैठक एवं आयोग की तीसरी बैठक दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 को आयोग के माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में नियोजन भवन स्थित प्रतिविम्ब सभागार में आयोजित हुई।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से श्री सुधि रंजन सम्मिलित हुए।

के लिए आए। इसलिए चयन समिति ने इन्हीं परियोजनाओं से ज्यादा लाभुक का चयन किया है। वर्ग बी में 3500 लाभुक में से करीब 2000 इन्हीं 13 परियोजनाओं से हैं। इसी तरह वर्ग ए में इन तेरह परियोजनाओं से 644 का चयन किया गया है। इसमें भी रेडिमेड कपड़ा और मखाना प्रोसेसिंग सबसे आगे हैं।

रेडिमेड कपड़ा निर्माण लिए वर्ग बी में 793 और वर्ग ए में 263 उद्यमियों का चयन हुआ है। दूसरे नंबर पर मखाना प्रोसेसिंग इकाई है। इसके लिए वर्ग ए में 103 और वर्ग बी में 300 उद्यमियों का चयन हुआ है। ड्रोन एस सर्विस में वर्ग ए में 66 और वर्ग बी में 200 का चयन हुआ है। इस बार कुल 8000 उद्यमियों का चयन हुआ है।

परियोजना के नाम	वर्ग ए-वर्ग बी
मखाना प्रोसेसिंग	103-300
शहद प्रोसेसिंग	35-98
ड्रोन एस सर्विस	66-200
इलेक्ट्रिक व्हिकल	35-100
डिजाइनर प्रोडक्ट	19-60
सीएनसी राउटर (फर्नीचर)	06-20
सीएनसी प्लाज्मा राउटर (गेट ग्रिल)	06-20
पावरलूम	48-149
रेडिमेड गारमेंट्स होजियरी	133-397
रेडिमेड गारमेंट बुवेन	130-396
लेदर गुड्स	51-148
लेदर शूज	06-24
लेदर जेकेट	06-24
कुल	**644-1936**

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.10.2023)

15 साल में मिली 651 राइस मिल की स्वीकृति

बिहार के कृषि रोड मैप को देश के सबसे अनोखे कृषि प्लान के रूप में जाना जाता है। रोड मैप बनाकर कृषि कार्य करने वाला बिहार देश में पहला राज्य है। 17 फरवरी 2008 को कृष्ण मेमोरियल हॉल में किसान पंचायत का आयोजन कर पहले कृषि रोड रोड मैप को लॉन्च किया गया था। 2008 से 2012 तक पहले कृषि रोड मैप की अवधि निर्धारित थी।

दूसरे कृषि रोड मैप की अवधि 2012 से 2017 तथा तीसरे की अवधि 2017 से 2023 थी। वर्ष 2023 से 2028 तक के लिए चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च किया जायेगा। 15 साल में राज्य में 651 राइस मिल खोलने की स्वीकृति दी गयी। नौ आटा मिल खोले गये। कृषि रोड मैप के तहत फसल, मांस, मछली व अंडा का उत्पादन बढ़ा।

12 विभाग इस साल से इतनी राशि से करेंगे विकास कार्य : चौथे कृषि रोड मैप में 12 विभागों को शामिल किया गया है। कृषि, फसल व बागवानी क्षेत्र में 22366.18 करोड़, पशु व मत्स्य संसाधन में 15349.40 करोड़, ऊर्जा में 6190.75, राजस्व व भूमि सुधार में 1200.75 पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में विकास कार्य के लिए 3875.98 करोड़ की राशि अनुमानित है। उद्योग विभाग में 3446.20, गन्ना उद्योग में 729.94, जल संसाधन में 19196.17, लघु जल संसाधन विभाग में 5308 करोड़ खर्च करने की अनुमानित राशि निर्धारित है।

दूध, अंडा व मांस का भी बढ़ा उत्पादन : कृषि रोड मैप के पूर्व बिहार में प्रतिवर्ष दूध का उत्पादन वर्ष 2021-22 में बढ़कर 115 लाख टन हो गया है। अंडा का उत्पादन वर्ष 2021-22 में बढ़कर 30131 लाख प्रतिवर्ष हो गया है। मांस का उत्पादन 2021-22 में बढ़कर 3.97 टन हो गया। मछली का उत्पादन 2.88 लाख टन से बढ़कर 7.62 लाख टन हो गया।

(साभार : प्रभात खबर, 17.10.2023)

पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में कोयले से नहीं चलेगी फैक्ट्री

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने राजधानी के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में कोयले से संचालित होने वाली फैक्ट्रियों के मालिकों को ईंधन के रूप में नेचुरल गैस का उपयोग करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी। पर्षद की ओर से कुल 11 फैक्ट्रियों की पहचान की गई हैं, जहाँ वर्तमान में ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग हो रहा है। उन्हें तीन माह के अंदर तकनीक में बदलाव कर गैस का उपयोग शुरू कर देना है। ऐसा नहीं करने पर यूनिट को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया जाएगा। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष डॉ. डीके शुक्ला का कहना है कि राज्य में प्रदूषण की मात्रा फिर बढ़ने लगी है। जाड़े के दिनों में राजधानी के वातावरण में प्रदूषण की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। इसलिए बोर्ड इस वर्ष पहले से ही सावधानी बरत रहा है। वायु प्रदूषण के मद्देनजर ही पर्षद ने पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र 11 फैक्ट्रियों की तकनीक में बदलाव करने का निर्देश दिया है। इन फैक्ट्रियों में इन फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में कोयला का उपयोग करने से प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि देखी जा रही है।

निर्माण कार्यों से भी हो रही है प्रदूषण में बढ़ोतरी : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के विज्ञानियों का कहना है कि राजधानी में हो रहे निर्माण कार्य से भी वायु प्रदूषण में वृद्धि देखी जा रही है। इसलिए पर्षद ने निर्माण कार्य में लगी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि हरित चादर से ढंककर ही निर्माण कार्य किया जाएँ। धूलकण न उड़े, इसलिए वहाँ पर समय-समय पर पानी का छिड़काव होता रहे। (साभार : दैनिक जागरण, 10.10.2023)

पीरपैंती में 1600 मेगावाट का नया बिजली घर बनेगा

बिहार में एक और बिजली घर बनेगा। राज्य सरकार ने भागलपुर के पीरपैंती में नया कोयला बिजली घर बनाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यह

आद्री की ओर से बिहार जाति सर्वेक्षण संबंधी ऑनलाइन संवाद में चैम्बर के महामंत्री शामिल हुए

आद्री (ADRI) की ओर से बिहार में जाति सर्वेक्षण को समझने के लिए एक ऑनलाइन संवाद दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुआ। इस संवाद में चैम्बर की ओर से श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, महामंत्री ऑनलाइन शामिल हुए।

बिजली घर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (उन्नत तकनीक पर आधारित) होगा। यहाँ 800 मेगावाट की दो यूनिट लगेगी जिससे 1600 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। दरअसल, लखीसराय के कजरा व भागलपुर के पीरपैंती में 660 मेगावाट की दो-दो यूनिट बिजली घर का निर्माण होगा था। इसके लिए एक-एक हजार एकड़ से अधिक जमीन का भी अधिग्रहण कर लिया गया। लेकिन, तकनीकी कारणों से राज्य सरकार ने इस निर्णय को वापस ले लिया। तब तय हुआ कि कजरा व पीरपैंती में सोलर बिजली घर बनाया जाए। कजरा में 150 मेगावाट सोलर बिजली निर्माण पर काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन, पीरपैंती में हरा-भरा क्षेत्र अधिक होने के कारण मात्र 50 मेगावाट ही सोलर बिजली उत्पादित हो सकती है। इसे देखते हुए ही राज्य सरकार ने तय किया कि पीरतैंती में थर्मल बिजली घर का निर्माण कराया जाए। बीते दिनों केन्द्रीय कोयला सचिव अमृत लाल मीणा ने बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव से बातचीत कर पीरपैंती में बिजली घर बनाने का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव के अनुसार चूंकि पीरतैंती से सटे बंगाल में कई कोयला खदान हैं, इस कारण थर्मल पावर को चलाने में कम दूरी से आसानी से कोयला मिल जाएगी। साथ ही अत्याधुनिक तकनीक से अब 800 मेगावाट की दो इकाई बनने के कारण उत्पादित बिजली भी सस्ती रहेगी।

बिहार के मौजूदा बिजली घर

यूनिट	उत्पादन क्षमता	बिहार का हिस्सा
कहलगांव	2340	409
बाढ़	300	2292
काँटी	390	289
नवीनगर-रेलवे	1000	100
नवीनगर	1980	1640
बरौनी	720	720
निर्माणाधीन चौसा	1320	1122

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.10.2023)

बिजली बिल का स्लैब एक होगा, यूनिट ज्यादा इस्तेमाल करने पर दर नहीं बढ़ेगी

बिजली कंपनी ने नया टैरिफ प्रस्ताव बनने का कार्य शुरू कर दिया है (यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए होगा। इस प्रस्ताव में दर बढ़ने की उम्मीद नहीं है। स्लैब घटाने पर कंपनी मंथन कर रही है। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक नया टैरिफ बनाने के लिए कसल्टेंट नियुक्त किया गया है। आय-व्यय का आकलन किया जा रहा है। पहली बार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 214 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। इसका लाभ राज्य के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके लिए राजस्व का मंथन चल रहा है। राज्य के पाँच कंपनियों द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रस्ताव को 15 नवम्बर तक बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपा जाएगा। इसमें साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और बिहार ग्रिड कंपनी शामिल है।

बिहार में वर्तमान बिजली दर

स्लैब	आयोग द्वारा निर्धारित	अनुदान बाद
शहरी घरेलू उपभोक्ता		
0-100 यूनिट	7.57 रुपए	4.27 रुपए
100 से ऊपर	9.10 रुपए	5.67 रुपए
व्यावसायिक		
0-100 यूनिट	7.88 रुपए	5.82 रुपए
100 से ऊपर	9.08 रुपए	6.59 रुपए
कुटीर ज्योति		
0-50 यूनिट	7.57 रुपए	2.12 रुपए
ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता		
स्लैब	**आयोग द्वारा निर्धारित**	**अनुदान बाद**
0-50 यूनिट	7.57 रुपए	2.60 रुपए
100 से ऊपर	8.11 रुपए	3.00 रुपए
व्यावसायिक		
0-100 यूनिट	7.94 रुपए	3.50 रुपए
100 से ऊपर	8.36 रुपए	4.36 रुपए

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 9.10.2023)

फ्लाइ ऐश का उपयोग निर्माण कार्य में जरूरी

बिजली संयंत्रों के 300 किमी दायरे में नियम लागू

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर राज्य के बिजली संयंत्रों के 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले निर्माण में फ्लाइ ऐश का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड के निर्देश के अनुसार फ्लाइ ऐश का उपयोग नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक डॉ नवीन कुमार ने बताया कि फ्लाइ ऐश का प्रयोग सिर्फ मकान बनाने के लिए ही नहीं बल्कि सड़क बनाने में, फ्लाइ ओवर की रेलिंग बनाने में, तटरेखा की सुरक्षा में, भराव और अनेक निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है।

उन्होंने बताया कि फ्लाइ ऐश के इस्तेमाल से मिट्टी उत्खनन पर रोक लग सकती है और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। अब सरकारी निर्माण कार्यों में भी इसका प्रयोग तेजी से हो रहा है। भारत सरकार ने काफी

वक्त पहले ही ईंटों के विनिर्माण के लिए उपजाऊ मिट्टी के उत्खनन पर रोक लगा दी थी। इसलिए फ्लाइ ऐश इसका बेहतर विकल्प है।

क्या होता है फ्लाइ ऐश : पावर प्लांट में जलने वाले कोयला से बनी हल्की राख जो चिमनी से निकल कर हवा में मिल जाती है। इसे हवा में मिलने से रोकने के लिए संयंत्र लगा रहता है। इससे प्राप्त राख को कई प्रकार के उपयोग में लाया जाता है। फ्लाइ ऐश से बनी ईंट उनमें से एक है।

(साभार : प्रभात खबर, 4.10.2023)

जिलों से नये औद्योगिक क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 25 एकड़ भूमि की डिमांड

राज्य में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जानी है। जिला पदाधिकारियों से न्यूनतम 25 एकड़ अविवादित जमीन मांगी गयी है। उद्योग विभाग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौड्रिक ने सभी जिला पदाधिकारियों से कहा है कि वह अतिशीघ्र भूमि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव बना कर प्रमंडलीय आयुक्त के जरिये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजें।

क्लस्टर वाइज लैंड बैंक

क्लस्टर	लैंड बैंक एकड़ में
बेगूसराय	122.99
भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया	214.80
दरभंगा	174.66
गया	107.60
हाजीपुर	25.46
मुजफ्फरपुर	32.39
मोतीपुर	493.95
पटना	22
बिहटा	425.54

औद्योगिक क्लस्टर्स में बची सिर्फ 1619.54 एकड़ भूमि : बिहार के विभिन्न औद्योगिक क्लस्टर्स में केवल 1619.54 एकड़ जमीन बची है। बियाडा की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जिस तरह से निवेश प्रोत्साहन परिषद के सामने निवेश प्रस्ताव सामने आ रहे हैं, उससे यह लैंड बैंक बहुत जल्दी खत्म हो जायेगा। फिलहाल औद्योगिक क्लस्ट से में कुछ 1619.54 एकड़ जमीन बची है। इसमें भी करीब एक हजार एकड़ का लैंड बैंक केवल मोतीपुर और बिहटा का है। शेष जगहों पर लैंड बैंक सिमटता जा रहा है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 5.10.2023)

सरकार जल्द ला रही उद्यमियों को 20 लाख ऋण की योजना

राज्य सरकार उद्यमियों के लिए 20 लाख रुपये के ऋण की योजना जल्द लाने जा रही। इस ऋण की पहली पात्रता यह होगी कि आवेदन कर रहा व्यक्ति मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अपना उद्यम सफलता पूर्वक चला रहा हो। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक के अनुसार युवाओं के लिए यह ऋण उद्योग विभाग के उपक्रम बिसिको के माध्यम से मिलेगा। इस ऋण के केन्द्र में यह है कि युवा अपने कारोबार को और अधिक बढ़ा सकें। इस ऋण के लिए आवेदन करने को भी उद्योग विभाग पोर्टल आरंभ करेगा। संबंधित उद्यमी को अपने दस्तावेज जैसे सीए रिपोर्ट, टर्नओवर, जीएसटी रिटर्न व अकाउंट स्टेटमेंट के साथ आवेदन करना होगा। यह वैसे सभी उद्यमियों के लिए होगा जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मिली सरकार की मदद से अपना काम कर रहे हैं।

उद्योग विभाग ने इस योजना के अन्य पहलुओं की सूचना अभी जारी नहीं की है। पर यह माना जा रहा कि इस योजना के तहत विभाग वैसे उद्योगों को प्राथमिकता देगा जिनमें रोजगार की अधिक संभावना है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 2.10.2023)

बिहार की नई पर्यटन नीति जल्द

उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ज्ञान भवन में आयोजित टीटीएफ में की घोषणा

पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा देने के लिए बिहार में नई पर्यटन नीति बन रही है। जल्द ही इसपर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद यह लागू हो जाएगी।

उपमुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव ने ज्ञान भवन में दिनांक 7.10.2023 को ट्रैवेल और टूरिज्म फेयर (टीटीएफ) का उद्घाटन करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2019 में 3.5 करोड़ पर्यटक आये थे। इस वर्ष अबतक 5.45 करोड़ पर्यटक आ चुके हैं। इन पर्यटकों को 4 से 5 दिनों तक रोकना हमारी चुनौती है। नई पर्यटन नीति में पर्यटन स्थलों पर सुविधाएँ विकसित की जाएँगी। टूरिस्ट गाइड को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे पर्यटकों को बिहार की जानकारी अच्छे से दें। इससे विदेशी के साथ ही घरेलू पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। राज्य में पहली बार आयोजित हो रहे टीटीएफ में रेडी रेकनर 2 व पोस्टर धम्म बिहार का विमोचन हुआ। दो दिवसीय टीटीएफ में 10 राज्यों के पर्यटन, आतिथ्य, ऑपरेटर और ट्रैवल क्षेत्र के प्रतिनिधि और टूर ऑपरेटर भाग ले रहे हैं।

नई नीति के बाद होंगे बदलाव : • पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार होगा • पर्यटन स्थलों पर सुविधाएँ विकसित होंगी • होटल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा • रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे • एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.10.2023)

सूबे की औद्योगिक इकाइयाँ जेड प्रमाण पत्र में अव्वल

बिहार की छोटी औद्योगिक इकाइयाँ पर्यावरण मानकों का पालन करने में देशभर में आगे हैं। देशभर में बिहार ने पहला स्थान प्राप्त किया है।

एमएसएमई की ओर से रविवार दिनांक 1.10.2023 को जेड सर्टिफिकेशन के सितम्बर माह का परिणाम जारी किया गया। इसके अनुसार जेड सर्टिफिकेशन (जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट) कराने में बिहार की औद्योगिक इकाइयाँ आगे हैं। देशभर में दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। इससे पहले जुलाई के परिणाम में भी बिहार नंबर एक पर रहा था तब बिहार की 3171 इकाइयों ने जेड सर्टिफिकेशन कराया था। यह प्रमाण पत्र मिलने के बाद कंपनी के उत्पाद को पर्यावरण मानकों पर खरा माना जाता है। इससे उत्पाद को बाजार मिलने में आसानी होती है। अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक ने बताया कि प्रदेश की अन्य औद्योगिक इकाइयों को भी इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 2.10.2023)

प्रतिष्ठानों में 10 से अधिक कर्मी हैं तो निबंधन जरूरी

राज्य में दस या 10 से अधिक कर्मियों वाले निजी दुकान/प्रतिष्ठानों के लिए निबंधन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए सरकार विशेष विधेयक ला रही है। श्रम संसाधन विभाग की ओर से बिहार राज्य दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन और सेवा शर्त विधेयक 2023 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इस विधेयक पर लोगों से दावा-आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। जल्द ही विधेयक को मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट को भेजा जाएगा।

प्रस्ताव के अनुसार दुकान-प्रतिष्ठान शुरू होने के छह महीने के भीतर संचालकों को निबंधन कराना होगा। विभाग आवेदन के आधार पर संस्थान की पंजीकरण संख्या आवंटित करेगा। दुकान-प्रतिष्ठान में काम करने वाले सभी कामगारों की पहचान आसानी से हो सके, इसके लिए संचालकों को उन्हें पहचान पत्र भी देना होगा। पहचान पत्र नहीं देने की स्थिति में ऐसे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

लगेगा जुर्माना : विधेयक के मुताबिक संस्थान, दुकानदार व मॉल में काम करने वाले कर्मियों को समय पर वेतन देना होगा। वेतन इस तरह निर्धारण किया जाएगा कि वह न्यूनतम मजदूरी के मुताबिक हो। तय न्यूनतम मजदूरी से

अगर किसी संचालक ने कम पैसे दिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

कर्मचारी को मजदूरी उस वेतन अवधि के अंतिम दिन के बाद सातवें दिन की समाप्ति से पहले देना होगा। मजदूरी की अवधि एक महीने की तय होगी। सभी मजदूरों को उनकी मजदूरी या अन्य बकाया का भुगतान बैंक या डाकघरों के खाते में करना होगा। अगर किसी कमी का बैंक खाता या डाकघर में खाता नहीं होगा तो उसे 30 दिनों के भीतर खाता खुलवाना होगा।

सप्ताह में 48 घंटे ही काम लेना होगा : दुकान-प्रतिष्ठान संचालकों को किसी एक कामगार से सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम लेने होंगे। एक दिन में अधिकतम नौ घंटे ही काम लिया जा सकता है। सात दिनों पर एक दिन का अवकाश देना होगा। लगातार पाँच घंटे से अधिक काम करने को नहीं कहा जाएगा जब तक कि उसे आधे घंटे का विश्राम न दिया जाए। अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य में साप्ताहिक विश्राम में छूट दी जा सकेगी। एक पाली में अधिकतम साढ़े 10 घंटे की ड्यूटी होगी। अत्यावश्यक सेवाओं वाले कार्य में अधिकतम 12 घंटे से अधिक की एक पाली नहीं होगी। ओवरटाइम के रूप में कर्मियों से तीन महीने में अधिकतम 125 घंटे की ड्यूटी ली जा सकेगी।

प्रतिष्ठान में महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल : किसी भी दुकान-प्रतिष्ठान में महिला कर्मियों की भर्ती करने में उपेक्षा नहीं की जाएगी। प्रशिक्षण, स्थानांतरण, प्रोन्नति या मजदूरी के मामले में महिलाओं से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी महिला से प्रात: छह बजे से रात नौ बजे के बीच ही काम लिया जाएगा। ऐसे संस्थानों में आश्रय, विश्राम कक्ष, रात्रि शिशु कक्ष, महिला शौचालय, उनकी गरिमा और सम्मान के साथ ही उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना होगा। हरेक नियोक्ता को कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना होगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 8.10.2023)

गैर आवासीय संपति कर के लिए उनके वार्षिक किराया मूल्य का निर्धारण तालिका में दर्ज गुणकों के आधार पर किया जायगा।

उक्त संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना सं. 10 नं. नि./विविध- 07/2021/5509/न. वि. एवं आ. वि. दिनांक 26 सितम्बर 2023 की प्रति माननीय सदस्यों की सूचनार्थ उद्धत है :-

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन 1945 (श.)
(सं. पटना 813) पटना, शुक्रवार, 6 अक्टूबर 2023

नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना
26 सितम्बर 2023

सं. 10 न. नि./विविध -07/2021/5509/न. वि. एवं आ. वि.- बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 के खण्ड (3) में निहित प्रावधान के आलोक में गैर आवासीय सम्पत्ति कर के निर्धारण के लिए वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण हेतु बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम (4) में प्रावधान किया गया है। उक्त नियम के आलोक में गैर आवासीय सम्पत्ति कर के लिए उनके वार्षिक किराया मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित तालिका में दर्ज गुणकों के आधार पर किया जायेगा।

क्र०	गैर-आवासीय कर के प्रकार	गुणांक
(I)	होटल, बार, हेल्थ क्लब, जिमनाजियम, क्लब, विवाह-हॉल	3
(ii)	दुकान (250 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले)	1
(iii)	दुकान (ii के अतिरिक्त), शो-रूम, शोपिंग मॉल, सिनेमा बार, मल्टीप्लेक्स, औषधालय, प्रयोगशाला, रेस्तरां, अतिथिशाला	1.5
(iv)	वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनियों के कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम	3
(v)	उद्योग, कार्यशाला, गोदाम, वेयर हाउस	2
(vi)	राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के वैसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यिक, व्यावसायिक एवं वित्तीय गतिविधियों में संलग्न है	2
(vii)	सभी प्रकार के कोचिंग क्लासेज, गाईडेंस एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं उनके छात्रावास	1.5
(viii)	राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के कार्यालय जो वाणिज्यिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान या उपक्रम नहीं हैं	1
(ix)	निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय, निजी शोध संस्थान, अन्य निजी शैक्षिक संस्थान एवं उनके छात्रावास	1.5
(x)	सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रकृति के स्थल, केन्द्र एवं संस्थाएँ	0
(xi)	निर्धन शारीरिक रूप से अक्षम, महिलाओं तथा बच्चों के लाभार्थ पूर्त न्यासों न लाभ न हानि के आधार पर संचालित शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान।	1
(xii)	(i) से (x) तक के अधीन अनाच्छादित कोई अन्य धृति	**गुणक 1.5 होगा**

2. उक्त तालिका के क्रमांक (viii) से आच्छादित केन्द्र एवं राज्य सरकार के वैसे कार्यालय और प्रतिष्ठान जो गैर-व्यावसायिक प्रवृत्ति के हों, उन्हें होल्डिंग्स से छूट होगी, परन्तु उनसे सेवा शुल्क लिया जायेगा। इस संदर्भ में बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम (4) के परन्तुक के प्रावधान के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 2726 दिनांक 11. 11.2013 निर्गत है तथा यह निर्गत की तिथि से ही प्रवृत्त है। उक्त अधिसूचना द्वारा सेवा शुल्क होल्डिंग के लिये निर्धारित कर का 75 प्रतिशत निर्धारित है।

3. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
(ह.) अस्पष्ट.
सरकार के उप सचिव।

बिहार बिजली के घरेलू उपयोग में देश का तीसरा राज्य

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के मामले में बिहार देश में तीसरे पायदान पर आ गया है। पहले पायदान पर असम और दूसरे पायदान पर झारखण्ड है। केन्द्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल उपभोक्ताओं में लगभग 90 फीसदी से अधिक घरेलू उपभोक्ता हो गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार असम में कुल उपभोक्ताओं में सबसे अधिक 93 फीसदी घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। जबकि दूसरे पायदान पर रहे झारखण्ड में 92.6 फीसदी उपभोक्ता घरेलू श्रेणी के हैं। वहीं बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार (नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) में 92.1 फीसदी तो दक्षिण बिहार (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) में 86.8 फीसदी घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़ दें तो उत्तर बिहार में शहरी उपभोक्ता मात्र 16 फीसदी तो दक्षिण बिहार में 29 फीसदी हैं। जबकि ग्रामीण इलाकों में उत्तर बिहार में 84 फीसदी तो दक्षिण बिहार में 71 फीसदी उपभोक्ता हैं। गैर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में उत्तर बिहार में छह फीसदी तो दक्षिण बिहार में 7.7 फीसदी हैं। औद्योगिक कनेक्शन में उत्तर बिहार में 0.6 फीसदी तो दक्षिण बिहार में एक फीसदी उपभोक्ता हैं।

कृषि कनेक्शन में उत्तर बिहार की तुलना में दक्षिण बिहार में इसकी संख्या अधिक है। उत्तर बिहार में मात्र 1.1 फीसदी तो दक्षिण बिहार में 4.4 फीसदी कृषि कनेक्शन है, जबकि अन्य श्रेणी में उत्तर बिहार में 0.2 फीसदी तो दक्षिण बिहार में 0.4 फीसदी कनेक्शन हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर साल औसतन छह लाख बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने का अनुमान है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 2.10.2023)

राज्य में छह और एथनाल कंपनियों में इसी वर्ष शुरू हो जाएगा उत्पादन

अगले तीन महीने में राज्य में आधा दर्जन नई एथनाल कंपनियाँ अस्तित्व में आ जाएँगी। नालंदा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और नवानगर में एथनाल उत्पादन ईकाई का काम पूरा होने को है। वर्तमान में छह प्लांट में उत्पादन हो रहा है। नालंदा में अक्टूबर में ही एक और नई एथनाल उत्पादन ईकाई अस्तित्व में आ जाएगी। नालंदा में चार ईकाइयों को पेट्रोलियम कंपनी ने अनुमति दी है। इनमें तीन एक ही कंपनी की ईकाई है। राज्य में कुल 17 प्लांट लगाए जा रहे हैं। पेट्रोलियम कंपनी की निविदा में इन कंपनियों को अनुमति मिली थी। इनके द्वारा तैयार उत्पाद को पेट्रोलियम कंपनी द्वारा खरीदा जाएगा। पेट्रोलियम कंपनी ने यह तय किया हुआ है कि एक कंपनी को एक दिन में कितना लीटर एथनाल का उत्पादन करना है। जिन 17 कंपनियों को पेट्रोलियम कंपनी ने अनुमति दी है, उनमें 14 नई है।

इन कंपनियों को पेट्रोलियम कंपनी ने कर रखा है शार्ट लिस्ट : भारत ऊर्जा डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड, बिहार डिस्टलरीज एंड बाटलर्स, मुजफ्फरपुर बायो फ्यूएल्स, पटेल एग्रो इंडस्ट्रीज यूनिट-1, पटेल एग्रो इंडस्ट्रीज यूनिट-2, पटेल एग्रो इंडस्ट्रीज यूनिट-3, इस्टर्न इंडिया बायो फ्यूएल्स नेचुरल्स डेयरी, आदित्री एग्रोटेक, चंद्रिका पावर, भारत प्लस एथनाल वीनसविधान एग्रोटेक, न्यूते होम्स, साहू एग्रो बिजनेस, सोना सती आर्गोनिक्स, ब्रजेन्द्र कुमार बिल्डर्स व माइक्रोमैक्स बायो फ्यूएल्स।

राज्य का एथनाल कोटा 36 करोड़ लीटर प्रतिदिन का : आरंभ में पेट्रोलियम कंपनी ने बिहार के 18 करोड़ लीटर प्रतिदिन का एथनाल कोटा तय किया था। बाद में राज्य सरकार ने कई स्तरों पर इस कोटा को बढ़ाने के लिए आवाज उठाई। वर्तमान में राज्य का कोटा 36 करोड़ लीटर प्रतिदिन का है। इस मात्रा में उत्पादित एथनाल का क्रय राज्य से होगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 2.10.2023)

53 प्रकार नमूनों की जाँच को मंजूरी

अगमकुआँ स्थित खाद्य प्रयोगशाला को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की अगले वर्ष तक के लिए मिली मान्यता पर एनएबीएल ने अंतिम मुहर लगा दी है। प्रयोगशाला के प्रभारी पदाधिकारी डॉ. सत्येन्द्र सागर ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 28 जून 2022 से 27 जून 2024 के लिए सशर्त मिली मान्यता के दौरान एनएबीएल ने दूसरी बार औचक निरीक्षण में लैब तथा जरूरी कागजात से जुड़ी कमियों की जाँच की। सभी कमियाँ दूर होने के बाद यह मान्यता मिली है। इस आधार पर लैब में खाद्य पदार्थ के 53 प्रकार के नमूनों की जाँच जारी रहेगी। राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला में इसके शामिल होने तथा यहाँ लगभग 250 प्रकार के नमूनों की जांच की स्वीकृति मिलने की संभावना बढ़ गयी है। उन्होंने बताया कि लैब में हर महीने लगभग चार सौ कानूनी और चार सौ सर्वे सैंपल की जाँच की जा रही है। निर्धारित चौदह दिनों में जाँच रिपोर्ट तैयार करने में कार्यरत चार खाद्य विश्लेषक लगे हैं। **(साभार : दैनिक जागरण, 10.10.23)**

ईएसआईसी निवेश नीति की समीक्षा हो : संसदीय समिति

श्रम पर स्थायी संसदीय समिति ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से निवेश नीति की सालाना समीक्षा करने की सलाह दी है। समिति ने ये सलाह सरकारी बॉन्ड से ईएसआईसी को मिलने वाले ब्याज में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट को देखते हुए दी है। समिति के मुताबिक, सरकारी प्रतिभूतियाँ जिसमें सरकारी बॉन्ड और स्टेट डेवलपमेंट लोन शामिल हैं, पर मिलने वाला ब्याज 2020-21 में 5,115 करोड़ रु से घटकर 2021-22 में 4,711 करोड़ रु. रह गया है। इसी तरह, बैंक एफडी और स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट्स पर प्राप्त ब्याज 2019-20 में 4,075.48 करोड़ रु. से घटकर 2021-22 में 1,290 करोड़ रु रह गया। इसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों की एफडी और 'एएए-रेटेड' पीएसयू बॉन्ड शामिल हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पीएसयू बॉन्ड में क्रेडिट रिस्क हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त ब्याज में कमी देखी गई है। वहीं, श्रम मंत्रालय का कहना है कि ईएसआईसी के पोर्टफोलियो में किसी भी निवेश में आज तक डाउनग्रेड या डिफॉल्ट नहीं देखा गया है। फिर भी, ब्याज में गिरावट को देखते हुए समिति का सुझाव है कि निवेश नीति की सालाना समीक्षा शुरू की जाए।

(साभार : दैनिक भास्कर, 12.10.2023)

अब सभी जिलों में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सिर्फ ई-चालान ही काटा जायेगा

बिहार पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) सुधांशु कुमार की माने तो इस नियम के पूरे प्रदेश में लागू होने से कई तरह के लाभ भी होंगे। बताया गया कि चालान से संबंधित जानकारी ऑनलाइन अपलोड हो जाती है। इस पर सिर्फ यह डालना होता है कि चालक ने कौन सा नियम तोड़ा है, उसके बाद चालान अपने आप जेनरेट हो जाता है। इस मशीन से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इस मौके पर एडीजी ट्रैफिक ने कहा कि ई- चालान की प्रणाली लागू होने से पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी। किस जुर्म के लिए कितना जुर्माना देना होगा, यह भी पूरी तरह से स्पष्ट होगा। इस कारण अब किसी भी प्रकार की अनियमितता को नजरंदाज नहीं किया जा सकेगा। ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार ने आगे बताया कि जुलाई माह में पहले चरण में एक दर्जन जिलों पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में इसे लागू किया गया था। अब 18 शेष जिलों में भी 30 नवम्बर तक यह सुविधा शुरू हो जाएगी।

(विस्तृत : आज, 8.10.2023)

देश में पहली बार लैब में उगा मीठा बांस खोलेगा नई संभावनाओं के द्वार

बांस अब ग्रामीण आर्थिकी को समृद्ध करने के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। यह संभव होगा देश में पहली बार वृहद स्तर पर तैयार की गई मीठे बांस की पौध से। यह नवोन्मेष बिहार के भागलपुर जिले में टीएनबी कालेज स्थित प्लांट टिश्यू कल्चर लैब (पीटीसीएल) में किया गया है। 20 वर्ष से पेड़-पौधों पर शोध कर रहे पीटीसीएल के परियोजना निदेशक प्रो अजय चौधरी के निर्देशन में विज्ञानियों ने ये पौधे तैयार किए हैं।

खाद्य पदार्थों से दवा उत्पादन तक : बांस की इस प्रजाति का उपयोग चीन, ताइवान, सिंगापुर, फिलीपींस आदि देशों में बड़े पैमाने पर कटलेट, चिप्स, अचार बनाने में किया जाता है। अब इसका यह व्यावसायिक उपयोग भारत में भी होगा। इन पौधों से एंटी आक्सीडेंट दवाएँ भी बनाई जा सकती हैं। वृहद पैमाने पर उत्पादन होने से किसानों को आय का नया विकल्प मिलेगा।

किसी भी मौसम व मिट्टी में होगी खेती : प्रो अजय बताते हैं कि भागलपुर स्थिल लैब में दो लाख पौधे जबकि अररिया स्थित प्रौद्योगिकी पार्क में एक लाख पौधे तैयार किए गए हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट की सहायता से बांस के इन पौधों से विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद तैयार करना संभव होगा। किसी भी मौसम व मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 11.10.2023)

EDITORIAL BOARD

Editor
PASHUPATI NATH PANDEY
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296